...ायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

मुबीन बनाम अजीम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.07.2022	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अत: अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.09.2022 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 2728 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम चकनासराबाद तहसील किशनगढबास रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। क्यो ना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, वकील प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 12.09.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)	
मुबीन	23-8-22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने मुलवाद नोट प्रेस। विड्रा कर लिया है। अत: प्रार्थना पत्र भी विड्रा किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर सामिल मुलवाद रहे।	

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)